राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2498/2025

नीरज सक्सेना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. डीईओ माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगन्नाथपुरा जयपुर (पूर्व) जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2025

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगन्नाथपुरा, खातीपुरा, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुकम्पात्मक आधार पर आदेश दिनांक 22.09.1993

को हुई थी और उसे दिनांक 20.01.1998 को अध्यापक ग्रेड तृतीय में समायोजित किया गया तथा दिनांक 24.12.2014 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की जन्मतिथि 05.09.1969 है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर है, परंतु टंकण त्रुटि होने पर उसकी जन्मतिथि 01.06.1969 दर्शायी गई है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के पिता का नाम कमलेश नारायण सक्सेना है जबकि सेवाभिलेख में महेश नारायण सक्सेना गलत दर्शाया गया है। अपीलार्थी ने उक्त त्रुटि सुधार के संबंध में विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में दिनांक 06.10.2024 को आदेश जारी किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी स्मरण पत्र दिनांक 10.02.2025 को अपीलार्थी के संबंध में नाम तथा जन्मतिथि में त्रुटि सुधार हेतु जारी किया गया। उनका यह भी तर्क है कि उक्त त्रुटि के कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जो लंबित है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी के पिता का नाम एवं उसकी जन्मतिथि संशोधित/त्रुटि सुधार किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा समस्त देय सेवालाभ आदि प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक

आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष